मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई 2010—श्रावण 5, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. 15669-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 27 जुलाई, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१०

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ और मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह २६ मार्च, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

भाग—एक

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) में संशोधन.

प्रोद्धरण का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धरण में, शब्द ''मध्यप्रदेश'' के पश्चात्, शब्द ''विधान सभा'' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा १ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १ में, शब्द ''मध्यप्रदेश'' के पश्चात्, शब्द ''विधान सभा'' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा २ का प्रतिस्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन.

''२ अध्यक्ष को सत्ताईस हजार रुपये और उपाध्यक्ष को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जाएगा.''

धारा ३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अठारह हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.'';

(दो) उपधारा (२) में, शब्द ''अठारह हजार'' के स्थान पर, शब्द ''सत्रह हजार'' स्थापित किए जाएं;

भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) में संशोधन.

प्रोद्धरण का संशोधन.

६. मध्यप्रदेश विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धरण में, शब्द ''विधान मंडल'' के स्थान पर, शब्द ''विधान सभा'' स्थापित किए जाएं.

धारा १ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में, शब्द ''विधान मंडल'' के स्थान पर, शब्द ''विधान सभा'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३ में शब्द ''दस हजार'' के स्थान पर, शब्द ''सत्ताईस हजार'' स्थापित किए जाएं.''

धारा ४ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''तेरह हजार'' के स्थान पर, शब्द ''अठारह हजार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द ''अठारह हजार'' के स्थान पर, शब्द ''सत्रह हजार'' स्थापित किए जाएं;

निरसन तथा व्यावृत्ति.

१०. (१) मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक ४ सन् २०१०) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हाल ही में वेतन तथा भत्तों में हुई बढ़ोत्तरी के कारण मंत्रियों तथा विधान सभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों के बीच अंतर हो गया है.

२. इस विसंगति को दूर करने के लिए अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों को दिनांक २६-३-२०१० से पुनरीक्षित करना आवश्यक हो गया है.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अत: मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक ४ सन् २०१०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मंडल का अधिनियम उपांतरण सहित लाया जाए.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १९ जुलाई, २०१०.

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, २०१० के खण्ड ४, ५, ८ एवं ९ में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये ७,६८,०००/- (रुपये सात लाख अड़सठ हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

माननीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं मंत्रियों तथा उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्रियों की मासिक परिलब्धियां समान थीं.

२. बजट सत्र, २०१० में वेतन तथा भत्तों में हुई बढ़ोत्तरी के कारण इनमें अंतर आ गया था.

३. इस विसंगति को दूर करने के लिए अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों को दिनांक २६-३-२०१० से पुनरीक्षित करना आवश्यक हो गया था.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अत: इस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक ४ सन् २०१०) प्रख्यापित किया गया था.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.